कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1985/12-1 दिनांक, मसूरी 04 –12–2015।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौड़ा–सरोली से अखण्ड भिलंग मोटर मार्ग के नव निर्माण (लम्बाई–8.300 किमी0) हेतु 3.45 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 2640/12–1(1), दिनांक 10 जून, 2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 1541/ पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0–दे0दून/वन भूमि, दिनांक 01–12–2015 (प्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावित समरेखण में आने वाली वन पंचायत की भूमि के सम्बन्ध में वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र /दस्तावेज को प्रस्तावक विभाग द्वारा भरे जाने वाले भाग–1 में आनलाईन अपलोड किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तावित समरेखण में आने वाली वन पंचायत की भूमि के सम्बन्ध में वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र /दस्तावेज जिसमें उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून के समुहर हस्ताक्षर है को वेबसाईट पर यथास्थान अपलोड कर तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की हार्ड प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक– उक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1985 / ( ) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में।

2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित एंव उनके पत्र दि0 01–12–2015 के कम में।

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email: eepmgsydehradun@rediffmail.com
1-12-15

ग्राम सड़क योजना

पंत्रांक 1541 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0–दे0दून/वन भूमि दिनांक /11/2015

विषयः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौड़ा– सरोली से अखण्डवाली भिलंग मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.45 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1881/12–1 दिनांक, मसूरी 30–11–2015

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, उत्तराखण्ड।

महोदय उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में प्रकरण के प्रस्तावित समरेखण में आने वाली वनपंचायत भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की वांछना की गयी है उक्त वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1413/दिनांक 29.10.215 द्वारा पूर्व में मूल रूप में प्रेषित किया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु कार्यवाही के लिए कहा गया हैं। इस सम्बन्ध में पुनः यह अवगत कराना है कि उक्त प्रमाण पत्र अपलोड करने की कार्यवाही प्रस्तावक विभाग द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उक्त प्रस्ताव सेव एवं लॉक हो चुका है तथा वर्तमान में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा एडिट नहीं किया जा सकता है। अतः प्रभाग स्तर से प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

पंत्राक /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0–दे0दून/वन भूमि/तदिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता– द्वितीय, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वन भूमि के प्रस्तावों को व्यक्तिगत् रूचि लेते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करें एवं साप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

2/12/15

2/12/15

कार्य का नाम:– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौडा – सरोली से अखण्डवाली भिलंग मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई– 8.300 किमी0)

वन संरक्षण अभिनियम 1980 का उल्लघंन न होने का प्रमाण पत्र
वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्रीं ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सौडा – सरोली से अखण्डवाली भिलंग मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन पंचायत भूमि –1.307 है0 भूमि प्रस्तावित की गयी है उस प्रयोजन हेतु यदि वन पंचायत की भूमि अर्जित की जाती है तो इस वन पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रधान ग्राम पंचायत अखण्डवाली भिलं
विकास खण्ड रायपुर

उमेश शर्मा काऊ
विधायक
19. रायपुर उत्तराखण्ड

सदस्य

सदस्य

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अखण्डवाली भिलंग
वि0ख0–रायपुर, देहरादून

परगना मजिस्ट्रेट (सदर)
देहरादून